

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला नीलवास

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 345/2022 पाठ्य

1. जेवा सि० करवावर मुक्ती सि० मालास - ६६५०० - ६६५००

प्रार्थी.....

बनाम

1. राज० सरकार जरीये व हसीलदार करेडा

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 15/12/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालास पटवार हल्का मालास तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या आराजी नम्बर

1359 1364/2 1427
०.1265 / ०.०379 / ०.1012/

कुलकिता 3 रकबा 2656 हेक्टर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह मंही होने से आयु दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/12/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की अवलोकनाथ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालास

पटवार हल्का मालास तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर

1359 1364/2 1427
०.1265 / ०.०379 / ०.1012/

कुलकिता 3 रकबा 2656 हेक्टर भूमि के खाते/संयुक्त खातों की सीमा की प्रुक्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निर्माण के लिए प्रार्थी को 4000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण की तरफ से जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला नीलवास

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी की

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला नीलवास